मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2018 (फाल्गुन 30, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न संख्या 1 हेतु श्रीमती ऊषा चौधरी, प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु व्यवधान होने के कारण अनुपूरक प्रश्नों पर चर्चा नहीं हुई. प्रश्नकाल बाधित रहा. प्रश्नोत्तर सूची में 25 तारांकित प्रश्नोत्तर, नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 125 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 146 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. प्रश्नकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास रावत ने उल्लेख किया कि कांग्रेस दल ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसे ग्राह्य कर चर्चा करनी चाहिए. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से अनुरोध किया कि माननीय सदस्य अपनी बात शून्यकाल में भी कर सकते हैं. अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि प्रश्नकाल हो जाने दें, क्योंकि दोनों पक्षों के सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं. कल भी सदन नहीं चलने दिया गया. शून्यकाल में कांग्रेस पक्ष से कोई एक सदस्य अपनी बात कह सकते हैं.

श्री सचिन यादव, सदस्य ने आसंदी से अनुरोध किया कि पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि यह आपत्तिजनक कथन है. अध्यक्ष महोदय ने कांग्रेस पक्ष के माननीय सदस्यों से पुन: अनुरोध किया कि अभी प्रश्नकाल हो जाने दें, आप सब की बात शून्यकाल में सुन ली जाएगी.

3. गर्भगृह में प्रवेश एवं व्यवधान से कार्यवाही स्थगित की जाना

इंडियन नेश्नल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करते हुये गर्भगृह में प्रवेश किया गया तथा नारेबाजी की गई. अध्यक्ष महोदय द्वारा इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा व्यवधान के कारण पूर्वाह्न 11.08 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11.23 बजे पुन: समवेत् हुई. तत्पश्चात् 11.27 बजे सदन की कार्यवाही मध्याह्न 12 बजे तक के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 12.01 बजे पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की बहोरीबंद के अन्तर्गत ग्राम तिलगंवा, अमगंवा, सहित अन्य ग्रामों में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने,

(2) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की रतलाम जिले के ग्राम सुजापुर स्थित प्रसिद्ध अम्बे माता मंदिर पहुंच मार्ग जर्जर होने,

(3) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का कार्य अधूरा होने,

(4) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य की ग्राम पंचायत बहरोली फीडर से जुड़े ग्रामों में बिजली की समस्या होने,

(5) श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले के कान्हीबाड़ा कन्या हाई स्कूल को हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किये जाने,
(6) श्री के. डी. देशमुख, सदस्य की बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों में सड़कें जर्जर होने,
(7) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की सिहोनिया में उप तहसील कार्यालय प्रारंभ किये जाने,
(8) श्री के. पी. सिंह, सदस्य की प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंप खराब होने से पेयजल समस्या होने,
(9) श्री के. के. श्रीवास्तव, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के तालाब में पानी भरे जाने तथा
(10) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की मंदसौर जिले के ग्राम मकड़ावन में सरपंच एवं सचिव द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने, संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

5. गर्भगृह में प्रवेश एवं वापसी

सर्वश्री रामनिवास रावत, निशंक कुमार जैन एवं प्रताप सिंह सहित इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश किया गया. अध्यक्षीय निर्देश पर वे अपने-अपने आसन पर वापस गए.

6. शून्यकाल में उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि इसी विषय पर कल भी माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी थी और मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सदस्यों को शून्यकाल में बोलने की अनुमति देते हुए सूचित किया था कि सामान्यत: बजट सत्र में स्थगन प्रस्ताव नहीं लिये जाते हैं परन्तु गंभीर विषयों में इसे लेने पर विचार किया जा सकता है. यह प्रकरण विचाराधीन है और कल की कार्यसूची में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी ध्यानाकर्षण पर भी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर था. परंतु मेरे अनुरोध करने के बावजूद शोरगुल के कारण सदन व्यवस्थित रूप से चल नहीं सका. आज भी माननीय सदस्यों को ध्यानाकर्षण के अतिरिक्त गृह विभाग की मांगों पर चर्चा के समय कानून-व्यवस्था आदि मामलों पर अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगा. वित्तीय कार्य भी नियत अवधि में पूर्ण होना है. अत: माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग प्रदान करें.

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवधान के कारण अपराह्न 12.07 बजे सदन की कार्यवाही अपराह्न 1.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाकर 1.23 बजे विधान सभा पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री पारस चन्द्र जैन, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अंकेक्षित लेखे, वर्ष 2016-2017 पटल पर रखा.

8. औचित्य के प्रश्न पर अध्यक्षीय व्यवस्था

डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि नियमों में संशोधन करके आपने हमारा अधिकार छीन लिया, अब विधान सभा का औचित्य क्या है ? नियमों के संशोधन में हमारी कोई सहमति नहीं है. ऐसे नियमों को बनाने से पहले विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए था. सत्तापक्ष एवं विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों को बुलाकर उनकी राय लेकर नियमों में संशोधन करना चाहिए था. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने मत व्यक्त किया कि इसे पूर्व की भांति कर दें. अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि विनियमित करने की शक्ति यहीं है. नियम समिति की सिफारिशों पर आपने समय पर आपत्ति नहीं की, तथापि इस पर पुन: विचार कर लेंगे. माननीय सदस्यों द्वारा आसंदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा तदुपरांत व्यवधान के कारण अपराह्न 1.28 बजे सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिये स्थगित की जाकर 2.11 बजे विधान सभा पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

9. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाला बच्चन एवं विजय सिंह सोलंकी, सदस्यगण की खरगौन जिला चिकित्सालय में दो सी.एम.एच.ओ. पदस्थ होने संबंधी सूचना व्यवधान के कारण नहीं पढ़ी जा सकी.

(2) श्री संजय शाह मकड़ाई, सदस्य की प्रदेश के अनेक संभागों के कस्तूरबा गांधी छात्रावासों में नियम विरूद्ध सहायक वार्डन की नियुक्ति किये जाने संबंधी सूचना व्यवधान के कारण नहीं पढ़ी जा सकी.

(व्यवधान के बीच कार्यसूची में उल्लिखित विषयों पर बिना चर्चा कार्यवाही निरंतर जारी रही)

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

सुश्री उषा ठाकुर, सभापति की अनुपस्थिति में श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का चतुर्थ, पंचम् एवं षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(2) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(3) श्री नारायण सिंह पँवार (जिला-राजगढ़)
(4) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(5) श्री सुशील कुमार तिवारी (जिला-जबलपुर)
(6) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(7) श्री कैलाश चावला (जिला-नीमच)
(8) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(9) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(10) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(11) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(12) श्रीमती झूमा सोलंकी (जिला-खरगोन)
(13) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(14) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(15) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(16) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(17) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(18) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(19) श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी) (जिला-शहडोल)
(20) श्री प्रताप सिंह (जिला-दमोह)
(21) श्री जितेन्द्र गेहलोत (जिला-रतलाम)
(22) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(23) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(24) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(25) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(26) श्री मथुरालाल (जिला-रतलाम)
(27) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(28) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(29) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(30) श्री हरदीप सिंह डंग (जिला-मंदसौर)

(31) श्री मुकेश नायक (जिला-पन्ना)
(32) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा (जिला-देवास)
(33) श्री जयवर्द्धन सिंह (जिला-गुना)
(34) श्री संजय उइके (जिला-बालाघाट)
(35) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(36) श्री कालुसिंह ठाकुर (जिला-धार)
(37) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर)
(38) कुंवर हजारीलाल दांगी (जिला-राजगढ़)
(39) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(40) श्री पन्नालाल शाक्य (जिला-गुना)
(41) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(42) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(43) श्री आरिफ अकील (जिला-भोपाल शहर)
(44) श्री रजनीश हरवंश सिंह (जिला-सिवनी)
(45) श्री अनिल जैन (जिला-टीकमगढ़)
(46) श्री रामलाल रौतेल (जिला-अनूपपुर)
(47) श्री महेन्द्र सिंह बागरी (जिला-पन्ना)
(48) श्री के.के. श्रीवास्तव (जिला-टीकमगढ़)

12. गर्भगृह में प्रवेश (क्रमश:)

इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनेक सदस्यगण अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आए.

13. वर्ष 2005-2006 के आधिक्य के विवरण का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2005-2006 के आधिक्य के विवरण का उपस्थापन किया.

14. वर्ष 2005-2006 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि –

''दिनांक 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 06, 24, 39, 67, 21 एवं 45 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को तीन हजार सात सौ सत्तावन लाख इकतालीस हजार दो सौ चौरासी रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाये.''

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अधिकाई मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 5 सन् 2018) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

16. वर्ष 2017-2018 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2017-2018 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

17. वर्ष 2017-2018 की तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

''दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 01, 06, 07, 08, 12, 23, 24, 26, 30, 32, 35, 55, 64 तथा 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक सौ नब्बे करोड़ दो लाख तैतालीस हजार दो सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय. ''

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 (क्रमांक 3 सन् 2018) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(विपक्ष द्वारा गर्भगृह से लगातार नारेबाजी की जाती रही.)

19. वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में उल्लिखित अनुदानों की शेष मांगों पर मुखबन्ध (गिलोटिन)

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि "वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की शेष मांगों पर अब मुखबन्ध (गिलोटिन) होगा इस संबंध में मतदान हेतु शेष विभागों की अनुदान मांगें माननीय वित्त मंत्री जी एक साथ प्रस्तुत करेंगे तथा उन पर एक साथ मत लिया जाएगा." तद्नुसार –

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

मांग संख्या - 15	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दो हजार रुपये,
मांग संख्या - 47	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए एक हजार पांच सौ एक करोड़, एक लाख, चौरासी हजार,
मांग संख्या - 22	नगरीय विकास एवं आवास के लिए चार हजार नौ सौ साठ करोड़, आठ लाख, पचहत्तर हजार रुपये,
मांग संख्या - 41	सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय के लिए एक हजार रुपये,
मांग संख्या - 64	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए सात हजार पांच सौ अठारह करोड़, तेरह लाख, चौरानवे हजार रुपये,
मांग संख्या - 21	लोक सेवा प्रबन्धन के लिए नब्बे करोड़, चौदह लाख, दो हजार रुपये,

मांग संख्या - 44	उच्च शिक्षा के लिए दो हजार दो सौ चवालीस करोड़, सतानवे लाख, अठाइस हजार रुपये,
मांग संख्या –35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए आठ सौ बावन करोड़, बयालीस लाख, पैंसठ हजार रुपये,
मांग संख्या - 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए एक हजार एक सौ उनतीस करोड़, चौसठ लाख, पच्चीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 23	जल संसाधन के लिए छह हजार चवालीस करोड़, बाईस लाख, पैंतीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 28	राज्य विधान मण्डल के लिए इक्कानवे करोड़, उनतीस लाख, सैंतीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 32	जनसम्पर्क के लिए चार सौ बारह करोड़, सात लाख, सतहत्तर हजार रुपये,
मांग संख्या - 45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए नौ सौ चौरासी करोड़, चौरासी लाख, पन्द्रह हजार रुपये,
मांग संख्या - 57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक हजार रुपये,
मांग संख्या - 18	श्रम के लिए तीन सौ बीस करोड़, नवासी लाख, बाईस हजार रुपये,
मांग संख्या - 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए नौ हजार चार सौ छियालीस करोड़, पैंसठ लाख, इकहत्तर हजार रुपये,
मांग संख्या - 40	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए तीन हजार सात सौ अठासी करोड़, उनासी लाख,अठावन हजार रुपये,
मांग संख्या - 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए सात हजार पांच सौ चौंतीस करोड़, छियालीस लाख, चौरासी हजार रुपये,
मांग संख्या - 29	विधि और विधायी कार्य के लिए एक हजार तीन सौ तैंतीस करोड़, सतहत्तर लाख, पचानवे हजार रुपये,
मांग संख्या - 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए एक हजार ग्यारह करोड़, पैंसठ लाख, सत्ताइस हजार रुपये,
मांग संख्या - 3	पुलिस के लिए छह हजार आठ सौ सात करोड़, दस लाख, तेरह हजार रुपये,
मांग संख्या - 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए उनचास करोड़, पैंसठ लाख, इकतालीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 36	परिवहन के लिए एक सौ छह करोड़, उनतीस लाख, उनतालीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 68	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए दो सौ तिहत्तर करोड़, अस्सी लाख, छब्बीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 48	जनजातीय कार्य के लिए चार हजार छह सौ छत्तीस करोड़, छब्बीस लाख, पंद्रह हजार रुपये,
मांग संख्या - 33	नर्मदा घाटी विकास के लिए तीन हजार दो सौ चवालीस करोड़, सत्ताईस लाख, अड़तीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण के लिए एक हजार तीन सौ तैंतालीस करोड़, उन्नीस लाख, अठासी हजार रुपये,
मांग संख्या - 52	चिकित्सा शिक्षा के लिए दो हजार सोलह करोड़, तिरेपन लाख, बत्तीस हजार रुपये
मांग संख्या - 26	संस्कृति के लिए दो सौ तैंतालीस करोड़, छह लाख, पचपन हजार रुपये, तथा
मांग संख्या - 37	पर्यटन के लिए दो सौ अड़तीस करोड़, अड़तालीस लाख, उनासी हजार रुपये
मांग संख्या - 63	अल्पसंख्यक कल्याण के लिए इक्तीस करोड़, अठारह लाख, सैंतीस हजार रुपये,
मांग संख्या - 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए नौ सौ इकसठ करोड़, उन्नीस लाख, छियालीस हजार रुपये, तथा
मांग संख्या - 69	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण के लिए सैंतीस करोड़, पैंसठ लाख, अड़तीस हजार रुपये
मांग संख्या - 38	आयुष के लिए चार सौ अड़तीस करोड़, छियानवे लाख, सतावन हजार रुपये, तथा
मांग संख्या - 56	कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए दो सौ तैंतीस करोड़, चौबीस लाख, पचानवे हजार रुपये
	तक की राशि दी जाए.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विपक्ष द्वारा गर्भगृह से लगातार नारेबाजी के मध्य कार्यसूची में अंकित विषयों पर कार्यवाही जारी रही)

20. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक -2) विधेयक, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) पुर:स्थापित किया.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर विधेयक, 2018 (क्रमांक 1 सन् 2018) पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर विधेयक, 2018 (क्रमांक 1 सन् 2018) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर विधेयक, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018) पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर विधेयक, 2018 (क्रमांक 2 सन् 2018) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2018 (क्रमांक 4 सन् 2018) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

21. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि – "विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत, यह प्रस्ताव किया कि "सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

22. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

23. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अपराह्न 2.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 21 मार्च, 2018